



छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, रायपुर
गांधी भवन, केयूर भूषण स्मृति परिसर, कंकाली पारा, रायपुर

फोन नं. 0771-2282846, फैक्स नं. 0771-2436707, 2442929, E-Mail : hocgkvib@rediffmailcom

क्रमांक/ खादी-विपणन /2026-27/ 909

रायपुर दिनांक :- 31.07.2026

प्रति,

विषय :- दर प्रदाय के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा भंडार क्रय नियम 8 के उपनियम 8.1 के परिपालन प्रदेश की महिला स्व-सहायता समूहों से निम्नलिखित सामग्रियों के क्रय हेतु दर मंगाया जाना है विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	सामग्री का विवरण	मात्रा	दर
1	White phenyl	प्रति ली.	
2	Black phenyl	प्रति ली.	
3	Liquid hand wash	प्रति ली.	
4	Laundry liquid soap	प्रति ली.	
5	Clothes softener liquid	प्रति ली.	
6	Liquid bleach	प्रति ली.	

अतः उपरोक्तानुसार सामग्री का दर छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड मुख्यालय में नियत समयावधि 03 दिवस के अंतर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे साथ ही महिला स्व-सहायता समूह के वैध / जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, भी उपलब्ध करावे।

नियम एवं शर्तें :-

1. इकाई द्वारा उत्पादित सामग्री का क्रय आदेश छ.ग.खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा न्यूनतम दर पर दिया जायेगा न्यूनतम दर का सैम्पल अनुमोदन ना होने पर द्वितीय न्यूनतम दर को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. प्रदायकर्ता समूह द्वारा सैम्पल के मापदंड अनुरूप ही सामग्री प्रदाय किया जाना है।
3. आपूर्ति पूर्ण किये जाने एवं संबंधित विभाग से पूर्ण राशि प्राप्त होने पर ही अंतिम भुगतान किया जायेगा।
4. प्रदायित सामग्री की संख्या एवं गुणवत्ता के संबंध में प्रमाणित पावती विभाग से प्राप्त कर बोर्ड मुख्यालय में जमा करना प्रदायकर्ता इकाई की जिम्मेदारी होगी।

सहायक संचालक
छग खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
रायपुर (छग)